

**सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग**

**सूचना भवन, पार्क रोड, लखनऊ-226001**

फोन नं०-2239132-35, 2239023, 2239011/462, ई०मेल-upinformation@nic.in, वेबसाइट-www.information.up.nic.in

आर०ओ० संख्या - 105162

सू०एवंज०सं०वि०- विज्ञापन(वर्गीकृत)

दिनांक- 15/03/2016

क्र०सं०	कोड न०	समाचार पत्र का नाम	भाषा	स्थान	स्तर	आवृत्ति स्थान वर्ग से०मी०(रु०)	दर वर्ग से०मी०(रु० में)	विज्ञापन का मूल्य
1	MUM-DLY-2367	इण्डियन एक्सप्रेस	अंग्रेजी	मुम्बई	राष्ट्रीय	100	28.44	2844.00
2	LKO-DLY-4512	जन संदेश टाइम्स	हिंदी	लखनऊ	मण्डल	100	28.44	2844.00
3	LKO-DLY-1237	जागरण (लखनऊ)	हिंदी	लखनऊ	मण्डल	100	97.52	9752.00
4	LKO-DLY-1280	टाइम्स आफ इण्डिया	अंग्रेजी	लखनऊ	राज्य	100	40.19	4019.00
5	DLH-DLY-2353	द पायनियर	अंग्रेजी	दिल्ली	राष्ट्रीय	100	28.44	2844.00
6	CHE-DLY-2633	दि इकानोमिक टाइम्स	अंग्रेजी	चेन्नई	राष्ट्रीय	100	17.12	1712.00
7	LKO-DLY-6599	सबमत्त	उर्दू	लखनऊ	जिला	220	17.12	3766.40
8	KOL-DLY-3253	हिन्दुस्तान टाइम्स (कोलकाता)	अंग्रेजी	कोलकाता	राष्ट्रीय	100	9.97	997.00
<b>कुल:-</b>								<b>28778.40</b>

**महोदय,**

- आर०ओ० में निर्दिष्ट आकार से अधिक आकार में विज्ञापन आपने पर बीजक का भुगतान आर०ओ० के अनुरूप ही किया जायेगा, प्रस्ताव विज्ञापन सम्बन्धित समाचार पत्र के उक्त संस्करण के अतिरिक्त समस्त उक्त संस्करणों में भी प्रकाशित किया जावेगा।
- विज्ञापन विज्ञापक भुगतान प्रकाशक की विधि को लागू कर २० वी० वी० मी० द्वारा निर्धारित दर अथवा उस अवधि के लिए विभाग द्वारा निर्धारित दर पर ही किया जायेगा। बिल अग्रिम राशि सहित तीन परियों में सूचना निर्देशालय अथवा जिला सूचना कार्यालय (जैसे निर्देशालय) को विज्ञापन प्रकाशक की विधि से 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा।
- विज्ञापन प्रकाशक द्वारा 28 दिनों के भीतर सूचना निर्देशालय, लखनऊ की निर्दिष्ट शाखा में अथवा सम्बन्धित जिला सूचना कार्यालय जहाँ से आर०ओ० निर्गत हुआ है, को समाचार पत्र, जिसमें विज्ञापन प्रकाशित हुआ है, की एक प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध करावी होगी यदि समाचार पत्र अथवा पत्रिका टिप्पणी से बाहर है, तो उसे प्रकाशन विधि से बाहर निकालना होगा।
- प्रकाशक पर उक्त समाचार पत्र में विज्ञापन आदेश की सत्यता एवं दिनांक का अवरोध उल्लेख किया जायेगा।
- मूल समाचार पत्र के प्रारंभ पृष्ठ पर ही विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाये परिचित, प्रथम पृष्ठ (inserted) पर प्रकाशित विज्ञापन का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- प्रकाशक को मूल से विज्ञापन सामग्री के मूल्या से यदि कोई वृद्धि पायी जाती है, तो प्रकाशक द्वारा उसे शुद्ध रूप में पुनः निर्भुक्त प्रकाशित कराया होगा इसके अतिरिक्त विभागीय वेबसाइट एवं आर०ओ० संख्या का प्रकाशन न करने पर बीजक से दस प्रतिशत वापस कर की जायेगी तथा जो समाचार पत्र समाचार द्वारा उपलब्ध कराये गये, विज्ञापक सामग्री में यदि कोई त्रुटि/त्रुटि पायी जाती है, तो प्रकाशक समाचार पत्र में विज्ञापन एवं उसे अतिरिक्त प्रकाशक की आसानी है।
- यदि विज्ञापक विज्ञापन प्रकाशक के सम्बन्ध में निर्दिष्ट किया जाता है, तो एजेंसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि समाचार पत्र जिस भाषा में प्रकाशित है, उसी भाषा में विज्ञापन भी प्रकाशित किया जाय, इस हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन का अलैख डिजिटल भुगतान में 'निर्दिष्ट किया जायेगा', जिसका सही अनुवाद करके वर्तमान भाषा में विज्ञापन सामग्री को मूल भाषा की शुद्धता के साथ समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित एजेंसी को होगी, जिसके लिए विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त धराशि देय नहीं होगी यदि समाचार पत्र को समाचार अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है, तो एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बीजक से 15 प्रतिशत धराशि की कटौती कर ली जायेगी।
- प्रकाशक समाचार पत्र में समाचार पत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रकाशित विज्ञापन से सम्बन्धित समाचार पत्र की एक प्रति उस विभाग के विभागाध्यक्ष को भी भुक्त उपलब्ध करायी होगी।
- विज्ञापन का भुगतान समाचार पत्र के प्रारंभ पृष्ठ पर ही किया जायेगा।
- प्रकाशक विज्ञापन सामग्री पठनीय, सुन्दर, स्पष्ट तथा धृष्ट रहित एवं उर्ध्व कोट-नोट नहीं होना चाहिए।
- समाचार पत्र प्रकाशक का नाम, पृष्ठ संख्या, वृत्त, कुल मुद्रित पृष्ठ, मूल्य, स्थान, दिन व दिनांक मुद्रित होना चाहिए।
- समाचार पत्र प्रकाशक को यदि समाचार पत्र के प्रकाशक, रव, धार्मिक एवं राजनीय मत तथा अलग से सम्पादक का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जो प्रकाशित सामग्री के प्रकाश के लिए 10 आर०ओ० एकट के अधीन जिम्मेदार होगी।
- बीजक के साथ विज्ञापन आदेश की मूल प्रति संलग्न की जाय मूल विज्ञापन आदेश संलग्न न होने की दशा में बीजक का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- 10 वी० वी० मी० विभागीय दर ही भी रवीकृत है, जिला सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति बीजक के साथ संलग्न की जाय।
- विज्ञापन का भुगतान निर्दिष्ट विभाग सही पाठो जहाँ पर ही किया जायेगा।
- आर०ओ० संख्या आदेश संख्या (105) और 20 वी० वी० मी० विभागीय दर रवीकृत है।
- किसी भी अवधि के लिए समाचार पत्र लखनऊ कार्यालय होगा।
- समाचार पत्र समाचार पत्र में प्रारंभिक अथवा अन्तिम समाचार पत्र में उक्त पृष्ठ ही अभिव्यक्ति है।
- जिस भाषा में समाचार पत्र में विज्ञापन उल्लेख आया है प्रकाशित कराया जाय।
- सर्व विज्ञापन समाचार पत्र को समाचार पत्र के निर्दिष्ट विज्ञापन सामग्री को जो 10 वी० वी० मी० संख्या के रूप में तथा विज्ञापन वेबसाइट www.up.gov.in पर उपलब्ध है अनिवार्य रूप से प्रकाशित कर प्रकाशित न होने की दशा में बीजक में से दस प्रतिशत धराशि की कटौती कर ली जायेगी।
- समाचार पत्र का भुगतान के साथ समाचार पत्र की प्रति समाचार अनिवार्य है किन्तु इसके भुगतान किया जाना समाचार नहीं है।

संख्या 30 पं०

105162

1 सू० एवं ज० सं० वि०- (विज्ञापन वर्गीकृत)- तदिनांकित

प्रतिनिधि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेटेड लेडिज नोडल एजेंसी, लखनऊ, को उनके पत्र संख्या/दिनांक

1240

14/03/2016

के संदर्भ में सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यवाही हेतु संकेत।

1. प्र. संकेत पर उपलब्ध है सूचना निर्देशालय की सूचना व दिनांक का उल्लेख अवश्य कर उक्त समाचार पत्र के उक्त प्रकाशक को हेतु पर ही प्रकाशित आदेश सत्यता एवं दिनांक का अग्रिम करनी है।
2. समाचार पत्र में समाचार पत्र में समाचार पत्र विभाग विज्ञापन प्रकाशक की वृद्धि एवं वृद्धि के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही करें।
3. निर्दिष्ट निर्देशालय भुगतान प्रकाशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 30 पं० लखनऊ को सूचना एवं आवरोध कार्यवाही हेतु संकेत।
4. प्रकाशक निर्देशालय सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, 30 पं० लखनऊ।

आज्ञा  
कृते सूचना निर्देशक

आज्ञा से  
मुख्य कार्यकारी अधिकारी